राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	2657/2024 मुकेश गुर्जर	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य अभियंता, प्रशासन, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर।	27.08.2024	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
2.	2658/2024 प्रहलाद गुर्जर			
3.	2659/2024 लोकेश कुमार			

आदेश की दिनांक : 28.08.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 2657/2024 मुकेश गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त समस्त अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर कार्यालय सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग उपखंड, टोंक में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी विशेष पिछडा वर्ग से आता है और नियमों में प्रावधानानुसार अपीलार्थी कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य है और शीर्षस्थ न्यायालय की अनुपालना में और राज्य सरकार के निर्णयानुसार अपीलार्थी की कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्ति हुई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.10.2020 के अनुसार अपीलार्थी की

केटेगरी विशेष पिछडा वर्ग से सामान्य वर्ग में बदलने हेतु पत्र लिखा गया, परंतु अपीलार्थी का वर्ग नहीं बदला गया और न ही वरिष्ठता सूची दिनांक 21.06.2024 में सामान्य वर्ग में अपीलार्थी का नाम जोडा गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 28.06.2024 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु अपीलार्थी का नाम विशेष पिछडा वर्ग से सामान्य वर्ग में परिवर्तित नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी सामान्य वर्ग में समस्त सेवा लाभ प्राप्त करने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.06.2024 में सामान्य वर्ग में कनिष्ठ अभियंता संवर्ग में नहीं जोडा गया और न ही अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया अभ्यावेदन पर कोई विचार किया गया, जो नियम विरूद्ध है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी की केटेगरी विशेष पिछडा वर्ग से सामान्य वर्ग में कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमाधारी संवर्ग में परिवर्तित की जावे और अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची दिनांक 21.06.2024 में सम्मिलित किया जावे तथा सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपीलों की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ अभियंता (डिप्लोमाधारी) के पद पर कार्यालय सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग उपखंड, टोंक में कार्यरत है। परंतु प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य

सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 2657/2024 मुकेश गुर्जर बनाम राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य